1770+4 वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बारम्बार
कहने के बावजूद वादी व अधिवक्ता
अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं हुए है।
वादी को लगातार नोटिस करने के बावजूद
22-11-12 से लगातार कोई अन्तिम अवसर
दिये जाने के उपरान्त भी तकरीबन 4 माह
नहीं किया है। अतः वादी को कई अवसर
दिये, अवसर देने तथा तकरीबन 4 माह
से अधिक समय के अन्तर्गत खारिज
किया जाता है। प्रकरण फैसल हुआ
समझा जाए एवं मूल से तकरीबन
समाप्त किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner